जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

(Email : dlsa32sikar@gmail.com, Ph/fax- 01572-294048)

–::कार्यालय आदेश::–

क्रमांकः–4355 दिनांकः– 6/8/2022

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक F4(199)/रालसा/विशेष–सचिव/एनएलए–3/2022/20269–20304 दिनांक 22.07.2022 मे दिये गये दिशा–निर्देशों एवं अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर की आदेशानुसार दिनांक 13.08.2022 (द्वितीय शनिवार) को आयोजित होने वाली **तृतीय** राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय पर निम्न बैंचो का गठन किया जाता हैं।

बैंच संख्या	अध्यक्ष	सदस्य अधिवक्ता	संबंधित प्रकरण
District Consumer Forum & PLA Bench			
1.	श्री कैलाश चन्द अटवासिया (विशिष्ठ न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, सीकर)	1. श्री मोहम्मद शाकिर, सदस्य 2. श्रीमती नीतू जांगिड़, सदस्य	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, आयोग, सीकर एवं स्थायी लोक अदालत, सीकर के संदर्भित प्रकरण
Pending Cases Bench			
2.	श्रीमती रेखा राठौड़ (विशिष्ठ न्यायाधीश, एम.ए.सी.टी, सीकर)	श्री बजरंग लाल बिजारणियां, अधिवक्ता	ज़िला एवं सेशन न्यायालय, सीकर पारिवारिक न्यायालय, एमएसीटी, सीकर, एडीजे क्रम–1, एडीजे क्रम–2, एडीजे क्रम–3, एवं एडीजे क्रम–4 द्वारा संदर्भित प्रकरण
3.	श्री विकास ऐचरा, (न्यायाधीश, ए.सी.जे.एम., सीकर)	श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता	न्यायालय एसीजेएम, सीजेएम, जेएम, जेएम क्रम–1, जेएम क्रम–2, जे.जे.बी. एवं ग्राम न्यायालय कुडली, द्वारा संदर्भित प्रकरण
Revenu Bench			
4.	श्रीमती सानिया हाशमी, (न्यायाधीश, एडीजे–3 सीकर)	सुश्री गरिमा लाटा, (उपखण्ड अधिकारी, सीकर)	जिला मुख्यालय स्थित राजस्व न्यायालयों द्वारा संदर्भित समस्त राजस्व प्रकरण
Pre-Litigation Cases Bench			
5.	श्री रामकिशन शर्मा, (विशिष्ठ न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी, सीकर)	श्री राहुल पारीक अधिवक्ता	जिला मुख्यालय स्थित बैंक/बीमा कम्पनियों द्वारा संदर्भित प्री–लिटिगेशन प्रकरण (प्रकरण संख्या 01 से 2432 तक)

आवश्यक निर्देश –

1. उक्तानुसार जिला मुख्यालय पर गठित बैंचों की सुनवाई (बैठक स्थान) जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर सीकर होगा।
2. माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 हेतु जारी **गाईड–लाईन** के अनुसार प्रत्येक बैंच में लिए आवश्यकतानुसार **अधिकतम 02 कर्मचारियों (किसी भी स्तर के) तथा 01 सहायक कर्मचारी की ही ड्यूटी लगायी**

जा सकेगी। यदि **किसी बैंच में एक से अधिक न्यायालय की पत्रावलियां रखी जाती** हैं तो दूसरे न्यायालयों/फोरम से पत्रावलियां प्रस्तुत करने हेतु संबंधित न्यायालयों/फोरम **से 01–01 कर्मचारी (किसी भी स्तर के) की ड्यूटी** लगाई जा सकेगी।

3. राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13.08.2022 में ड्यूटी देने वाले कर्मचारिगण की ड्यूटी संबंधी सूचना दिनांक **08.08.2022** तक एवं **मानदेय संबंधी सूचना दिनांक 16.08.2022** तक संबंधित प्रारूप में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
4. संबंधित बैंच अध्यक्ष निर्धारित प्रारूप में निस्तारित प्रकरणों की सूचना **दिनांक 13.08.2022** को समय **01:00 पीएम** एवं पूरे दिन निस्तारित हुए प्रकरणों की अंतिम सूचना समय **03:30 पीएम** तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाये।
5. जिला मुख्यालय स्थित न्यायालयों द्वारा लोक अदालत बैंच में रखे गये प्रकरणों की पत्रावलियां, सम्बंधित बैंच को दिनांक 12.08.2022 को वादसूची के मुताबिक सूचीबद्ध तरीके से संभलायें एवं लोक अदालत के समापन के पश्चात् बैंच पत्रावलियां सूचीबद्ध तरीके से संबंधित न्यायालय को सम्भलायें।
6. प्री–लिटिगेशन बैंच के पीठासीन अधिकारी सफल एवं असफल पत्रावलियों पर ऑर्डरशीट लोक अदालत के दिन ही लिखवाया जाना सुनिश्चित कराएंगें तथा पत्रावलियां भी लोक अदालत के दिन ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर को सुपुर्द करवाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
7. राष्ट्रीय लोक अदालत में जो भी प्रकरण राजीनामे के माध्यम से निस्तारित होंवे उन्हें उसी दिन **NJDG/CIS System** पर निस्तारित की श्रेणी में दर्ज किया जावें तथा जो प्रकरण कॉजलिस्ट में शेष रहें उनको भी पत्रावली में दी गई आगामी तारीख पर दर्ज करवा दिया जाए ताकि कोई भी प्रकरण अन–डेटेड न रहें।

आज्ञा से

Sd –

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

क्रमांक 4370 दिनांक 6/8/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1 संबधित बैंच अध्यक्ष श्री/श्रीमति..
2 संबधित बैंच सदस्य श्री/श्रीमति ....
3 समस्त मुख्यालय स्थित न्यायालय..
4 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सीकर
5 श्रीमान् जिला कलक्टर, सीकर
6 कोर्ट मैनेजर/सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश वेबसाईट पर अपलोड करें।
7 रक्षित पत्रावली

6/08/2022

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर